न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः डॉ. भँवर लाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 44/2014

उनवान मुकदमा

1. शंकर पिता कोदर जाति भीलै निवासी आदर्श नगर वासवाडा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

—: वादीगण

बनाम

1. श्री परता पिता कोदर जाति भील उम्र वालिग निवासी आदर्श नगर बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. तहसीलदार बांसवाडा (राज.)

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी)

निर्णय

दिनांकः 12/4/2018

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी के विरूद्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 प्रकरण संख्या 43/2002 होकर दिनांक 28.01.2009 को वादी एवं प्रतिवादी कि अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. के अधीन निरस्त किया गया था जिस कारण आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत् प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद को पुनः प्रस्तुत कर निवेदन किया किः—

1—वादी व प्रतिवादी के पिता कोदर पिता रूपा आदिवासी जाति भील निवासी आदर्श नगर गोरडी पटवार मण्डल धलकिया के खातेदारी के निम्न खेत निम्न रकबा लगानी के है :—

1)खेत नं. 1184/2278 रकबा 5 बिघा 18 बिस्वा लगानी 8.67 रूपया वाके गांव गोरडी तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा है।

2)खेत नं. 1804/2758/2356 रकबा 4 बिघा 10 बिस्वा लगानी 7.13 रूपया वाके ग्रम सुन्दनपुर तहसील व जिला बांसवाडा है।

1— प्रकरण मे प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा आदेश नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 परता की ओर से उक्त प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 परता के विरूद्व एक वाद संख्या 43 /2002 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था,जो दिनांक 28.01.2009 को वकील वादी व वादी के अनुपस्थित होने से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया है । तत्पश्चात् वादी ने दिनांक 29.02.2012 को प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 सी.पी.सी में पेश किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2014 को निरस्त कर निर्णय पारित किया है, जो कि अंतिम निर्णय होकर बाध्यकारी है । पूर्व के वाद में वर्णित पक्षकारान एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान वाद में वर्णित पक्षकारान एवं वादग्रस्त कृषि भूमि समान ही है । ऐसी दशा में वादी का उक्त वाद पुनः सुनवाई योग्य नही हैं तथा कानूनीतौर पर रेसजुडीकेटा (प्राग्न्याय)के सिद्वान्त के अनुसार चलने योग्य नहीं है व निरस्त करने योग्य है।

2— प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के प्रार्थना—पत्र का वादी अभिभाषक का जवाव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया।

आवेदन चरण संख्या 1 के तथ्य कानूनी रूप से असत्य होने से अस्वीकार है । वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि वादी ने अपने वाद पत्र के प्रथम भाग में यह अंकित किया है कि वादी ने एक वाद बाबत बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो प्रकरण संख्या 43/2002 होकर दिनांक 28.01.2009 को वादी एवं प्रतिवादी कि अनुपस्थिती में निरस्त कर दिया गया था । वाद आ .9 सी.पी.सी. के अधीन यह नया वाद प्रस्तुत कर आवेदन में जो तथ्य दर्शाये गये है ।वह पूरी तरह से गलत हैं। प्रस्तुत वाद आदेश 9 नियम

Scanned by CamScanner

7 सी.पी.सी में निरस्त नही किया था इस हेतु प्रकरण के साथ प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 28.01.2009 पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि ,प्रकरण को उक्त दिनांक को दोनो पक्षो की अनुपस्थिति में निरस्त किया जा चुका है। जब कभी भी कोई प्रकरण वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है तो ऐसे निरस्तीकरण का आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी में किया जाता है प्रस्तुत प्रकरण में भी जो आदेश पारित किया गया है वह आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी में किया गया है ।जो आदेश पारित किया जाता है उसमें पूनः नम्बर पर लेने का आवेदन 9 नियम 4 सी.पी.सी. में देने का प्रावधान है ।उस परिस्थिति में जब प्रकरण में प्रतिवादी उपस्थित हो एवं वादी अनुपस्थित हो एवं इस कारण वाद निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे वाद को पुनः नम्बर पर लेने के लिये 9 नियम 9 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है एवं 9 नियम 9 सी.पी.सी. के आवेदन के निरस्त होने पर नया वाद लाने की बन्दीश है प्रस्तुत प्रकरण में गलती से आवेदन पर 9 नियम 9 सी.पी.सी. अंकित कर दिया गया वस्तुतः यह आवेदन 9 नियम 4 सी.पी.सी. का था एवं 9 नियम 3 एवं 9 नियम 2 सी.पी.सी. के अधिन गैर हाजरी में वाद निरस्त करने की सुरत में उसी वाद हेतुक पर नया वाद लाने की अनुमति है । न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तीकरण अवैध है एवं पारित आदेश जिस विवादित आदेशिका को पूर्नजीवित करने के लिये थ उसके तथ्यों के विपरीत है जिससे आदेश नलीटी के कारण आदेश दिनांक 30.01.2014 नल एण्ड वोईड होने से पौषणीय नहीं है पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम आदेश गैर हाजरी में वाद निरस्ती करण आदेश 9 नियम 3 की परिधी में आने से वाद पत्र पौषणीय है।

प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र की बहस सुनी गई। बहस पर संक्षिप्त मनन करने एंव पत्रावली के संलग्न अभिलेख तथा समय–समय पर पारित आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि पूर्व में न्यायालय द्वारा वादी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जा चुंका है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.पी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त वाद को अस्वीकार किया जाता है।

(डॉ.भँवरलाल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

आदेश

वादी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुंका है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.पी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त वाद को अस्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय दिनांक आज दिनांक .04.2018 को मेरे स्वंय द्वारा सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा(राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : डॉ भंवरलाल(आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या: 44 / 2014

उनवान मुकदमा

1.श्री शंकर पिता कोदर जाति भील उम्र 65 वर्ष निवासी आदर्श नगर (गोरडी)बांसवाडा जिला बासवाडा

—: वादीगण

बनाम

1.श्री परता पिता कोदर जाति भील उम्र बालिग निवासी आदर्ष नगर बासवाडा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

2.श्रीमान् तहसीलदार तहसील कार्यालय बांसवाडा ।

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:12.04.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है ।

वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त वाद को अस्वीकार किया जाता है ।

नोज शुन्य मुबलिग शुन्य बाबत् शुन्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य सालान आज की तारीख से तारीख सूलयाबी तक शून्य का अदा करे ।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 12.04.2018 को जारी की गई ।

(डॉ. भँवर लाल)
उपखण्ड अधिकारी
बासवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner